



क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2026-2027/0005

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियम निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2026-27 (एक सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय / विषयों में अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र अमिद्वि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संचालक संस्था : BRIJ SHIKSHA AVAM VIKAS SAMITI, 63, VIRENDRA NAGAR, BALIKA ADARSH VIDHYA MANDIR, BAZARIYA, SAWAI MADHOPUR
महाविद्यालय का नाम : TRINETRA MAHAVIDYALAYA, Village & Post- MALARNA CHOUR, Tehsil- MALARNA DUNGAR, Dist.- SAWAI MADHOPUR, Bharatpur Division, 322030

सम्बद्ध विश्वविद्यालय : University of Kota, Kota

पूर्व संचालित संकाय/ विषय : Arts स्नातक - Bachelor of Arts Economics, Geography, History, Political Science, Sanskrit, Sociology, Urdu, Computer Application, ENVIRONMENTAL SCIENCE, ENGLISH LITERATURE, HINDI LITERATURE

1. संस्था सत्र 2027-28 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार स्थायी अनापति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
2. संस्था द्वारा साक्षि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तलय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्तलय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में वी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विधार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तलय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अधीक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2026-2027 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
9. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने पर आयुक्तलय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तलय में प्रस्तुत करेगी।
11. संस्था को सत्र 2026-27 हेतु पूर्व संचालित विषय/संकाय में अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र में अमिद्वि मापदण्डों के पूर्ति के अभाव में नीति नियमानुसार निर्धारित शास्ति रुपये 2,50,000/- अक्षर दो लाख पचास हजार रुपये मात्र के भुगतान के उपरांत जारी की गई है।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

(नथमल डिडेल)

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त आयुक्तलय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. कलेक्टर सवाई माधोपुर।
5. सचिव, University of Kota, Kota
6. सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. मातृशिक्षा शाखा, आयुक्तलय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित प्रशासकी

Signature valid

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2026.07.02 13:50:24 IST
Reason: Self Attested



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD
Dn-Ist SAWAI MADHOPUR

No.

Date:-

श्रीमान सहायक निदेशक
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर।

Subject :- Regarding Safety Certificate of Educational Institute
त्रिनेत्र महाविद्यालय मलारना चौड, सवाईमाधोपुर

Ref.:- Ref. of depositing fee Challan No. 89323825 Dated
13.05.2024 For Rs. 6000/-

Sir,

It is inform that above building has been Inspected by Assistant Engineer PWD Sub Division- Bhadoti on dated 21.05.2024 On the basis of formal recommended by affidavit furnished by owner, it is certify that this Building is safe for College activities.

This Certificate is valid for a period 3 (Three) year i.e. only up to (Date) subject to regular upkeep and satisfactory Annual maintenance by College owner and Verified by Aen every year after rainy season.

Your's Faithfully

Sd
(S.K.Singhal)

Executive Engineer
PWD Dn.-I Sawai Madhopur

Date 30.5.24

No.

Copy to :- 419

- 1- The Assistant Engineer PWD Sub Division Bhadoti with Ref. to your letter No. 32 Dated 21.05.2024
- 2- Principal- त्रिनेत्र महाविद्यालय मलारना चौड, सवाईमाधोपुर

com
Executive Engineer
PWD Dn.-I Sawai Madhopur

कार्यालय-ग्राम पंचायत मलारना चौड़

पंचायत समिति मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर

प्रेषक :

रुकमणी देवी मीना
सरपंच

ग्राम पंचायत मलारना चौड़
पंचायत समिति मलारना डूंगर, जिला-सवाई माधोपुर
मो. 9414551820, 9414402020

प्रेषिती :

श्रीमान डा. चर्चि, जिनेत्र महाविद्यालय
मलारना चौड़ सणा

क्रमांक :- 2024/151

दिनांक :- 20/06/2024

विषय : Fire N.O.C.

प्रसंग :

पुष्पाणित किया जाता है कि जिनेत्र महाविद्यालय मलारना चौड़, सवाई माधोपुर में प्रशस्ति मार्ग में अग्नि शमन यन्त्र - उपलब्ध है महाविद्यालय भवन अग्नि जनित समस्या से - निपटने में सभी प्रकार से सुरक्षित है।

अतः पंचायत समिति मलारना चौड़ द्वारा जिनेत्र महाविद्यालय को Fire N.O.C. जारी की जाती है।

रुकमणी देवी
सरपंच

- ग्राम पंचायत मलारना चौड़
पंचायत समिति म. डूंगर (स.ना.)

3

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मलारना चौड़
पंचायत समिति म. डूंगर (स.ना.)